# सर्टिफिकेट पिम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

## मॉड्यूल 2- जल उपभोक्ता समितियों की स्थिति

## विषय 2.1 - देश में जल उपभोक्ता समितियों की वर्तमान स्थिति

**विषय-2.1**

देश में जल उपभोक्ता समितियों की वर्तमान स्थिति

**मॉड्यूल-2 के विषय :**

2.1 देश में जल उपभोक्ता समितियों (जउस) की वर्तमान स्थिति

2.2 जल उपभोक्ता समितियों (जउस) की समस्याएँ, मुद्दे और चुनौतियां

2.3 जउस तथा विभाग द्वारा अपनाई गई अनुकरणीय प्रथाएँ

2.4 जउस की सफलता के प्रमुख कारण तथा उनका भविष्य

### 1. परिचय

वर्ष 1961 से 1990 के बीच बड़ी सिंचाई योजनाओं पर भारी सरकारी धन का निवेश किया गया। परन्तु 1980 के दशक के दौरान यह तेजी से महसूस किया जाने लगा था कि बड़ी सिंचाई योजनाओं का रखरखाव ठीक से नहीं हो पा रहा है, और उनसे प्राप्त लाभ आशा से कम है । विशेष रूप से दो बड़ी कठिनाइयां सामने आईं : (1) लगभग सभी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर उनकी सिंचाई

क्षमता का पूरा इस्तेमाल न हो पाने की समस्या बनी रही । नहर के ऊपरी भाग में किसानों द्वारा पानी के मनमाने इस्तेमाल और निचले टेल भाग में नाममात्र पानी मिलने से असंतोष पैदा हुए। इस असंतोष का उचित समाधान सरकारी विभाग नहीं कर सके, (2) राज्य सरकारों द्वारा सामान्यतः सिंचाई दरों में भारी रियायत तथा कुछ राज्यों में मुफ्त सिंचाई दिए जाने के कारण सिचाई प्रबंधन क्षेत्र घाटे का  शिकार रहा , जिस कारण सिंचाई प्रणाली के रखरखाव के लिए धन नहीं जुटाया जा सका । लगातार अपर्याप्त रखरखाव के कारण नहर प्रणाली खस्ता-हाल होने लगी और जलापूर्ति की मात्रा और विश्वसनीयता में कमी होने लगी।  इन नहर प्रणालियों में बहने वाले जल का केवल 30-40 प्रति शत ही फसलों के उपयोग के लिए उपलब्ध हुआ।

सिंचाई क्षेत्र पर विभिन्न अध्ययनों द्वारा यह निष्कर्ष निकला कि सिंचाई जल के उपयोग की दक्षता और सिंचाई प्रणालियों का प्रदर्शन सुधारने के लिए जल प्रबंधन में उपयोगकर्ता किसानों की भागीदारी आवश्यक है । राष्ट्रीय जल नीति (एनडब्ल्यूपी) तथा राज्यों की जल नीतियों द्वारा भी इस निष्कर्ष से सहमति व्यक्त की गई है। सिंचाई प्रबंधन में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जल उपयोगकर्ताओं की समितियाँ गठित की जाती है जिन्हें सामान्यता जल उपभोक्ता समिति के नाम से जाना जाता है। विभिन्न प्रदेशों में इनके नामों में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है , जैसे राजस्थान में जल उपयोक्ता संगम, झारखंड में जल उपयोगकर्ता संघ, उत्तर प्रदेश में जलभोक्ता समिति , आदि।

राष्ट्रीय जल नीति 2012 के पैरा 75 में कहा गया है कि जल प्रयोक्ता संघों (डब्ल्यूयूए) को जल शुल्क के एकत्र करने और उसका एक भाग अपने पास रखने , आवंटित जल की मात्रा का प्रबंधन करने और उनके अधिकार क्षेत्र में वितरण प्रणाली के रखरखाव के लिए संविधिक शक्तियां दी जानी चाहिए। जल प्रयोक्ता संघों (डब्ल्यूयूए) को जल नियामक प्राधिकरणों (WRAs) द्वारा निर्धारित निम्नतम दरों (Floor rates) के अधीन दरों को निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए ।

इस प्रकार के कृषक संगठनों के माध्यम से किसानों को सिंचाई प्रबंधन में शामिल करने की पद्धति सहभागी सिंचाई प्रबंधन (Participatory Irrigation Management) कहलाती है जिसका संक्षिप्त नाम पिम (PIM) लोकप्रिय है।

**2. भारत में जल उपभोक्ता समितियों (डब्ल्यू यू ए ) की स्थिति**

1985 में भारत सरकार द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट (सीएडी) कार्यक्रम के अंतर्गत कई राज्यों में जल उपयोग समितियों की स्थापना की पहल की गयी । बाद में राष्ट्रीय योजना आयोग (नीति आयोग ) द्वारा नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) में जल उपभोक्ता समितियों (डब्ल्यू यू ए ) को बढ़ावा देने के लिए पिम (PIM) पर एक विशेष कार्य समूह की स्थापना की। विश्व बैंक , राज्य जल और भूमि प्रबंधन संस्थानों (वाल्मी) , गैर सरकारी संगठनों , तथा इंडियन

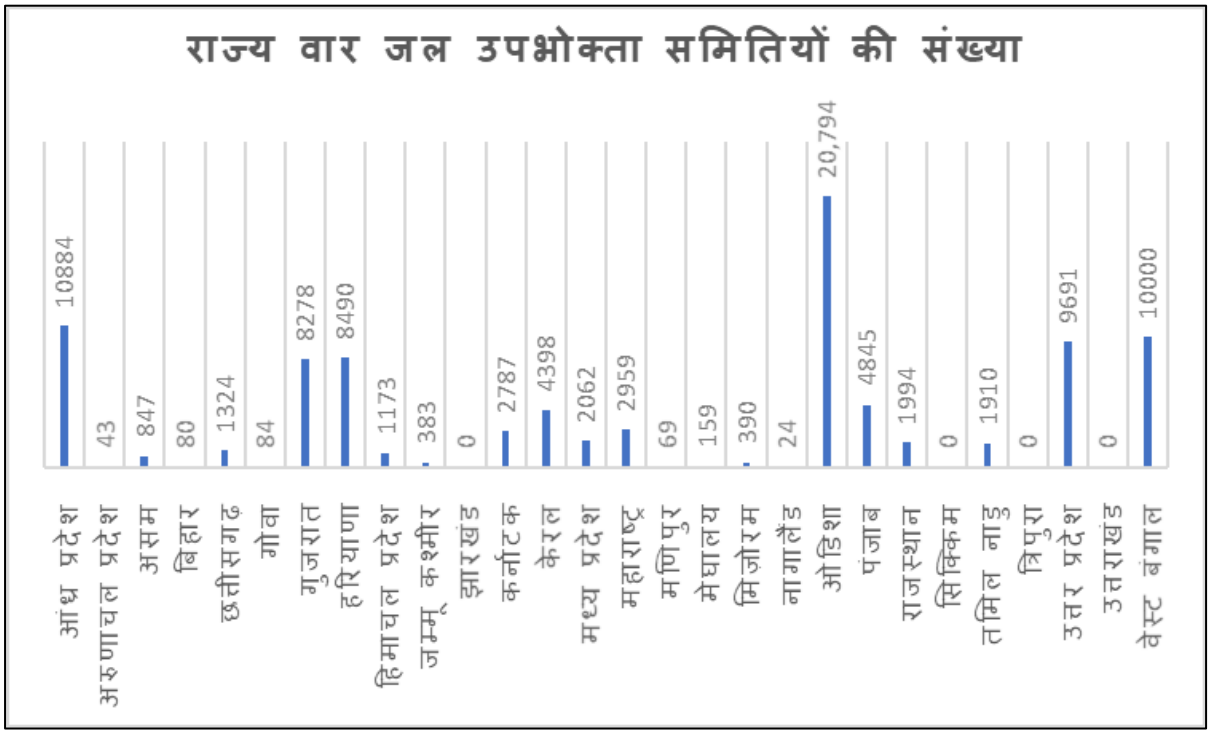


नेटवर्क ऑन पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट (इंडियनपिम ) द्वारा भी जल उपभोक्ता समितियों (डब्ल्यू यू ए ) को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाता रहा है। फिलहाल, भारत के कुल 28 राज्यों में से 24 राज्यों ने अपने मौजूदा सिंचाई अधिनियमों में संशोधन करके अथवा नया पीआईएम अधिनियम लागू करके सिंचाई प्रबंधन (Participatory Irrigation Management) पद्धति को स्वीकार

किया है तथा नहर प्रणालियों पर जल उपभोक्ता समितियों (डब्ल्यू यू ए ) का गठन किया है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश अग्रणी हैं ।

नवीनतम अनुमानों के अनुसार, भारत में लगभग 94000 जल उपभोक्ता समितियों (डब्ल्यू यू ए ) का गठन किया गया है जिनका अधिकार क्षेत्र लगभग 17.84 मिलियन हेक्टेयर (ग्राफ 1) है । परंतु यह आंकड़े वास्तविक स्थिति नहीं

**चित्र 1: सहभागी सिंचाई प्रबंध की शुरुआत**

दर्शाते हैं । इसका कारण ये है कि परियोजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकारी विभागों द्वारा अधिकांश जल उपभोक्ता समितियों को कागजी कार्रवाई पूरा करके गठित कर दिया गया है। परन्तु जल उपभोक्ता समितियों (डब्ल्यू यू ए ) को कार्यशील बनाने और उन्हें सक्षम बनाने के प्रयास नहीं किए गए हैं।

यही कारण है कि सिंचाई प्रबंधन को संभालने में जल उपभोक्ता समितियों (डब्ल्यू यू ए ) की सफलता मिली-जुली रही है । जहाँ गैर सरकारी संगठनों ने जल उपभोक्ता समितियों (डब्ल्यू यू ए ) को कार्यशील बनाने और उन्हें सक्षम बनाने की जिम्मेदारी उठाई है वहाँ समितियों का कामकाज उत्साहजनक है। उदाहरण के

लिए, गुजरात और मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर (डीएससी) द्वारा समर्थित जल उपभोक्ता समितियॉ, महाराष्ट्र में समाज परिवर्तन केंद्र द्वारा समर्थित वाघाड सिंचाई योजना की जल उपभोक्ता समितियॉ (डब्ल्यू यू ए ) और कर्नाटक में धन फाउंडेशन द्वारा समर्थित टैंक उपयोगकर्ता समूह। लेकिन जहां जल संसाधन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा समितियों का गठन किया गया है वहाँ समितियों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है । संक्षेप में, भारत में जल उपभोक्ता समितियों (डब्ल्यू यू ए ) के खराब प्रदर्शन का कारण यह है कि इसे गठित और मजबूत बनाने का उत्तरदायित्व जल संसाधन विभाग (अक्सर इंजीनियर) का होता है जो अधिकांशत: परंपरागत सोच रखते हैं और सहभागिता की प्रक्रियाओं और औचित्य से अनभिज्ञ हैं । साथ ही सहभागी सिंचाई प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही की अनिवार्यता के कारण वे जल उपभोक्ता समितियों (डब्ल्यू यू ए ) का समर्थन करने में असहज महसूस करते हैं ।